

**By email**

**F.No. 4-7/2016-CWP/345**  
Government of India  
Department of Posts  
Ministry of Communications  
(CWP Section)  
[ Engineering Division ]  
\*\*\*\*\*

Dak Bhawan, Sansad Marg,  
New Delhi-110001.  
**Date : 31-07-2019.**

To

The Chief Engineer (Civil)/Works  
Department of Posts,  
Dak Bhawan, Sansad Marg,  
New Delhi-110001.

Sub : Amendment of Recruitment Rules of Assistant Engineer (Civil) and Assistant Engineer (Electrical), in the Department of Posts.

\*\*\*\*\*

I am directed to enclose herewith notified Recruitment Rules of Assistant Engineer (Civil) and Assistant Engineer (Electrical), Group-'B' Gazetted post in Civil Engineering Wing for your kind information and necessary action.

This issues with the approval of Chief Engineer (Civil)/HQ.

Encl : One set of Amended RR-2019 of AE(C/E).

  
Superintending Engineer (P&A)

Copy to :-

1-6. All Superintending Engineer (Civil), DoP along with a set of Amended RR-2019 of AE(C/E).

7-8. All Superintending Engineer (Electrical), DoP along with a set of Amendment RR-2019 of AE(C/E).

9. The G.M. (CEPT), Mysore. He is requested to upload on India post website.

  
Superintending Engineer (P&A)

**By email**

**F.No. 4-7/2016-CWP/345**  
Government of India  
Department of Posts  
Ministry of Communications  
(CWP Section)  
[ Engineering Division ]  
\*\*\*\*\*

Dak Bhawan, Sansad Marg,  
New Delhi-110001.  
**Date : 31-07-2019.**

To  
The Chief Engineer (Civil)/Works  
Department of Posts,  
Dak Bhawan, Sansad Marg,  
New Delhi-110001.

Sub : Amendment of Recruitment Rules of Assistant Engineer (Civil) and Assistant Engineer (Electrical), in the Department of Posts.

\*\*\*\*\*

I am directed to enclose herewith notified Recruitment Rules of Assistant Engineer (Civil) and Assistant Engineer (Electrical), Group-'B' Gazetted post in Civil Engineering Wing for your kind information and necessary action.

This issues with the approval of Chief Engineer (Civil)/HQ.

Encl : One set of Amended RR-2019 of AE(C/E).

Superintending Engineer (P&A)

Copy to :-

1-6. All Superintending Engineer (Civil), DoP along with a set of Amended RR-2019 of AE(C/E).

7-8. All Superintending Engineer (Electrical), DoP along with a set of Amendment RR-2019 of AE(C/E).

9. The G.M. (CEPT), Mysore. He is requested to upload on India post website.

  
Superintending Engineer (P&A)

(11)	(12)	(13)
As stated in Column (10)	<b>Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b> (1) Deputy Secretary or Director (Administration), Central Electricity Authority —Chairman; (2) Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority — Member; (3) Under Secretary (Welfare), Central Electricity Authority —Member.	Not applicable.

[F.No. A-12018/02/2014-Admn.I]

HAUSUANTHANG GUTE, Under Secy.

**संचार मंत्रालय**

**(डाक विभाग)**

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2019

**सा.का.नि.207.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दूरसंचार विभाग और डाक विभाग में सिविल इंजीनियरी विंग (समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी) भर्ती नियम, 1992 को अधिकांत करते हुए, संचार मंत्रालय में डाक विभाग की सिविल इंजीनियरी विंग में सहायक इंजीनियर (सिविल) और सहायक इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार मंत्रालय, डाक विभाग, सिविल इंजीनियरी विंग, सहायक इंजीनियर (सिविल) और सहायक इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2019 है।  
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- विनियोग.**— ये नियम, इन नियमों के उपबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, इससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं इत्यादि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा इनसे संबंधित अन्य मामले वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहताएं.**— वह व्यक्ति-

- जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
  - जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

लेकिन यदि, केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दी जा सकती है।

- शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व-सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) सहायक इंजीनियर (सिविल)	145*(2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	i) 67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, अल्पकालिक संविदा सहित ii) 33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा, अल्पकालिक संविदा सहित

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
1. प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.) में, विभागीय जूनियर इंजीनियर (सिविल), जिसने इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है तथा 'भवन निर्माण और रख-रखाव' के क्षेत्र में चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण 1 : जहां उन कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रोन्नति देने के लिए विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, तो उनके वरिष्ठों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठों के साथ	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए) का गठन 1 मुख्य इंजीनियर (सिविल), डाक विभाग -अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (संपदा एवं सामग्री प्रबंध), डाक विभाग - सदस्य 3. अधीक्षण इंजीनियर (सिविल), डाक विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है।

अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**2. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :**

केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारी:

- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण किए हुए हैं; अथवा  
(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.) में अथवा समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हैं:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से मिडिल इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा; और

(ii) 'भवन निर्माण अथवा रख-रखाव' में दो वर्ष का अनुभव

**टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित), की अवधि भी शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 2 :** पोषक श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जिन्हें निकट भविष्य में सीधे प्रोन्नत किया जाना है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) सहायक इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)	36*(2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, अल्पकालिक संविदा सहित

(11)	(12)	(13)
<p><b>1. प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.) में, विभागीय जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), जिसने इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है तथा 'भवन निर्माण कार्यों में इलेक्ट्रिकल अधिष्ठापन तथा रख-रखाव' के क्षेत्र में चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। <b>टिप्पण 1 :</b> जहां उन कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रोन्नति देने के लिए विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, तो उनके वरिष्ठों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्षों, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिदीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>2. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):</b> केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.) में अथवा समकक्ष पदों</p>	<p><b>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए) का गठन</b></p> <p>1 मुख्य इंजीनियर (सिविल), डाक विभाग - अध्यक्ष</p> <p>2. उप महानिदेशक (संपदा एवं सामग्री प्रबंध), डाक विभाग - सदस्य</p> <p>3. अधीक्षण इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), डाक विभाग - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

<p>पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हैं:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा; और</p> <p>(ii) 'भवन निर्माण कार्यों में इलेक्ट्रिकल अधिष्ठापन तथा रख-रखाव' में दो वर्ष का अनुभव</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित), की अवधि भी शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> पोषक श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जिन्हें निकट भविष्य में सीधे प्रोन्नत किया जाना है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे।</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

[फा. सं. 4-7/2016-सीडब्ल्यूपी]

एस. पी. महापात्र, मुख्य इंजीनियर (सिविल) मुख्यालय

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**

(Department of Posts)

New Delhi, the 1st July, 2019

**G.S.R.207.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Telecommunications and Department of Posts, Civil Engineering Wing (Group 'B' Gazetted Officers) Recruitment Rules, 1992, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Assistant Engineer (Civil) and Assistant Engineer (Electrical) in the Civil Engineering Wing of the Department of Posts in the Ministry of Communications, namely :—

(1) **Short title and Commencement.**— (1) These Rules may be called the Ministry of Communications, Department of Posts, Civil Engineering Wing, Assistant Engineer (Civil) and Assistant Engineer (Electrical), Group 'B' Gazetted Posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the column (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Engineer (Civil).	145*(2019) Subject to variation dependant on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-ministerial.	Level-7 (Rs 44,900-1,42,400)	Selection Post	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) 67 percent by promotion failing which by deputation including Short Term Contract. (ii) 33 percent by deputation including Short-Term Contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
1. Promotion: The Departmental Junior Engineer (Civil) in Level-6 (Rs 35,400 - 1,12,400) with five years regular service in the grade and have successfully completed training of four weeks in the field of 'Building	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-  1. Chief Engineer (Civil), Department of Posts - Chairman. 2. Deputy Director General (Estate	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.



<p>construction and maintenance'.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years whichever is less and have successfully complete their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>2. Deputation (including Short Term Contract): Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous Organisations:-</p> <p>(a)(i) Holding analogous post on regular basis in parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) With five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 6 (Rs 35,400 – 1,12,400) or equivalent in parent cadre or Department; and</p> <p>(b) Possessing the following Educational qualification and experience:-</p> <p>(i) Three years Diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institution; and</p> <p>(ii) Two years experience in 'Building construction or maintenance'.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (Including Short Term Contract) including the period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years and the maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note 2:</b> The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not</p>	<p>and Material Management), Department of Posts - Member.</p> <p>3. Superintending Engineer (Civil), Department of Posts -Member.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

be eligible for consideration for appointment by promotion.		
-------------------------------------------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Engineer (Electrical)	36*(2019) Subject to variation dependant on workload	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-ministerial	Level-7 (Rs 44,900-1,42,400)	Selection Post	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation including Short Term Contract.

(11)	(12)	(13)
<p>1. Promotion: The Departmental Junior Engineer (Electrical) in Level-6 (Rs 35,400 – 1,12,400) with five years regular service in the grade and have successfully completed training of four weeks in the field of 'Electrical installation and maintenance in Building Works'.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years whichever is less and have successfully complete their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>2. Deputation (including Short Term Contract):- Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous Organisations:-</p> <p>(a)(i) Holding analogous post on regular basis in parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) With five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 6 (Rs 35,400 – 1,12,400) or equivalent in parent cadre or Department; and</p> <p>(b) Possessing the following Educational qualification and experience:-</p> <p>(i) Three years Diploma in Electrical</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chief Engineer (Civil), Department of Posts -Chairman.</li> <li>Deputy Director General (Estate and Material Management), Department of Posts -Member.</li> <li>Superintending Engineer (Electrical), Department of Posts -Member.</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

<p>Engineering from a recognized University or Institution; and</p> <p>(ii) Two years experience in 'Electrical Installation and Maintenance in Building Works.'</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (Including Short Term Contract) including the period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years and the maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note 2:</b> The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

[F.No. 4-7/2016-CWP]

SHIBA P. MOHAPATRA, Chief Engineer (Civil) Head Quarter

**ALOK  
KUMAR**

Digitally signed  
by ALOK KUMAR  
Date: 2019.07.23  
17:00:23 +05'30'